न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2025/130

1. श्री चौबेलाल मीणा पुत्र श्री रामभरोसे मीणा उम्र–47 वर्ष जाति मीणा हाल कार्यरत सहायक वाणिज्य कर अधिकारी वृत बी, घट चतुर्थ मुख्यालय खैरथल जरिये तहसीलदार किशनगढ बास अलवर राज0 निवासी ग्राम सनेट का पुरा, पोस्ट सनेट तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपीलविरूद्ध आदेश क्रमांक प.21–12(579) न्याय/2009/10549 दिनांक 05.08.2010विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर राज0प्रथम अलवर(न्याय प्रकोष्ठ)

उपस्थित–

1. श्री राजाराग चौधरी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.04.2025

1. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के सिविल रिट पीटिशन संख्या 815/2012 के निर्णय दिनांक 21.11.2024 से न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के पूर्व निर्णय दिनांक 10.10.2011 को निरस्त कर गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश प्राप्त होकर प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि अपीलांट श्री चौबेलाल मीणा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर आर्म्स के समक्ष लाइसेंस नवीनीकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 05.08.2010 को दिये गये जिसकी अपील संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष लगभग 8 माह बाद प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा मियाद अवधि कन्डोन करने के संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अपील खारिज करने के आदेश दिनांक 10.10.2011 को दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में सिविल रिट पीटिशन संख्या 815/2012 प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.11.2024

से न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के पूर्व निर्णय दिनांक 10.10.2011 को निरस्त कर गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश दिये गये हैं।

3. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी को 12 बोर दूनाली एवं 32 बोर पिस्टल की आवश्यकता थी । प्रार्थी पूर्व में किराये पर प्लाट नं. 26 राज विलास कालोनी नियर सर्किट हाऊस बीकानेर में रहता था, इस कारण प्रार्थी ने हथियार लाईसेंस आवेदन पत्र में स्वयं के पते के स्थान पर किराये पर रह रहे उक्त पता अंकित कर जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने संबंधित थाना व अन्य विभागों की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 01.02.1994 को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया था । प्रार्थी कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र जो कि 12 बोर गन नं. 15008 दो नाली एवं 32 बार पिस्टल सं. आर पी 124002 बाबत को समय-समय पर नवीनीकरण कराता रहा था ।

प्रार्थी ने दिनांक 18.08.2010 को अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र नं. 31/1/1994 के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि पूर्व में प्रार्थी ने लाईसेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें भूलवश स्थायी पता प्लाट न 26, रामविलास कालोनी, बीकानेर लिख दिया था लेकिन प्रार्थी का स्थायी पता ग्राम सनेट का पुरा पोस्ट सनेट, तहसील हिण्डौन जिला करौली राज है, इसलिए इसी पते के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जावे। प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर अलवर ने प्रार्थी के पते की जांच के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक करौली एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी को आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन की जांच करने बाबत लिखा था। जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्र दिनांक 30.09.2010 द्वारा जिला कलक्टर अलवर को लिखा था कि प्रार्थी सनेट का पुरा, थाना श्री महावीर जी का निवासी है तथा मुताबिक रिकार्ड थाना श्री महावीर जी के किसी मुकदमें में मुस्तवा एवं सजायाफ्ता नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार हिण्डौन ने भी प्रार्थी को सनेट का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी का कानूनन निवासी बताया । इसके उपरान्त भी जिला कलक्टर अलवर ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र को गलत तथ्य प्रस्तुत करने के आधार पर प्रार्थी को बिना सुने खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी का पक्ष नहीं सुना गया है इसलिए प्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे और यह भी निवेदन किया था कि प्रार्थी का स्थायी पते के जगह भूलवश बीकानेर का पता लिख दिया था। फिर भी जो प्रार्थी का स्थायी पता अब है, उसका भी जिला पुलिस अधीक्षक करौली एवं तहसीलदार हिण्डौन सिटी की रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष के आयी है । इस आधार पर भी प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण बाबत स्वीकार किया जाना चाहिए लेकिन उक्त तथ्यों को जिला कलक्टर अलवर ने नहीं माना और प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.10 को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.8.2010 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की आदेश प्रदान करें ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस अधीक्षक बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ना तो प्रार्थी द्वारा अंकित पते पर निवास करता है ना ही किरायेदार रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा

अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्य व गलत शपथ पत्र अंकित करने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 05.08.2010 को दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. हमने प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2011 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को गलत तथ्य प्रस्तुत करने के आधार पर खारिज कर दिया। जबकि प्रार्थी ने पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी द्वारा स्थायी पते के जगह भूलवश बीकानेर का पता लिख दिया था। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत इत्यादि का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना उचित समक्षते हैं। अत. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

<u>अतः आदेश है कि</u>, अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर का आदेश क्रमांक. प.21-12(579) न्याय/2009/10549 दिनांक 05.08.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलार्थी को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(पुनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।